



UPFD010010562020

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट, फिरोजाबाद
 उपस्थित --इफराक अहमद (एच०जे०एस०) ID-UP6193
 विशेष सत्र वाद सं०- 333/2020

राज्यअभियोजनपक्ष
 बनाम

1- दिनेश यादव पुत्र फूलन सिंह,
 2- छोट्टू उर्फ सुशील यादव पुत्र दिनेश,
 समस्त निवासीगण- नगला भूप, थाना नसीरपुर, जिला फिरोजाबाद।
अभियुक्तगण

धारा- 323,504,506 भा०द०सं०
 व धारा 3(1) द, ध, एस०सी०/एस०टी० एक्ट
 थाना- नसीरपुर, जिला- फिरोजाबाद।
 अपराध संख्या- 283/2019,

निर्णय

1. उपरोक्त विशेष सत्र-परीक्षण वाद का विचारण पुलिस थाना नसीरपुर जनपद फिरोजाबाद द्वारा मु०अ०सं० 283/2019 में अभियुक्तगण दिनेश यादव एवं छोट्टू उर्फ सुशील यादव के विरुद्ध प्रेषित आरोप पत्र अंतर्गत धारा 323,504,506 भा०द०सं०, व धारा 3(1)द, ध एस०सी०/ एस०टी० एक्ट, के आधार पर संस्थित होकर किया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी रामसेवक पुत्र होसीलाल, निवासी- ग्राम नसीरपुर, थाना नसीरपुर, जिला फिरोजाबाद (Informant) द्वारा थानाध्यक्ष नसीरपुर को प्रार्थना पत्र दिनांकित 04-11-2019 प्रदर्शक-1 निम्न आशय का प्रस्तुत किया गया है कि-

“निवेदन है कि मैं प्रार्थी रामसेवक पुत्र श्री होसीलाल, निवासी-रसूलपुर, थाना नसीरपुर, जिला फिरोजाबाद का रहने वाला हूँ। आज दिनांक 04-11-2019 को समय 08.00 बजे सुबह में अपनी पत्नी को लेकर खेत पर मेड़ बाँधने के लिए मिट्टी डाल रहे थे तभी मेरे पास दिनेश पुत्र फूलन सिंह व छोट्टू पुत्र दिनेश निवासी नगला भूप आकर मुझे व मेरी पत्नी सुनीता देवी को मारा तथा जाति सूचक शब्द व गन्दी-गन्दी गाली दी और कहा साले धोबिया आगर तूने मेरी मेड़ से मिट्टी ली तो तुझे मार दूंगा।

अतः श्रीमान जी प्रार्थना है कि प्रार्थी की रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।"

3. उपरोक्त लिखित तहरीर प्रदर्श क-1 के आधार पर थाना नसीरपुर पर **प्रथम सूचना रिपोर्ट मु०अ०सं० 283/2019, अन्तर्गत धारा 323,504,506 भा०द०सं० व धारा 3(1) द,ध, एस०सी०/ एस०टी० एक्ट दिनांकित 04-11-2019 को प्रदर्श क-2** के रूप में अभियुक्तगण **दिनेश एवं छोट्टू** के विरुद्ध पंजीकृत की गयी, जिसकी प्रविष्टि रोजनामचाआम (G.D.) में गयी, जिसकी प्रति पत्रावली पर **प्रदर्श क-3** है।
4. विवेचना अग्रसारित करते हुए विवेचक द्वारा साक्षियों के बयान अन्तर्गत धारा 161 द०प्र०सं० अंकित किये गये। घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर अभियुक्तगण **दिनेश यादव एवं छोट्टू उर्फ सुशील यादव** के विरुद्ध आरोप पत्र **प्रदर्श क-5** प्रेषित किया गया।
5. अभियुक्तगण को नकले प्राप्त करायी गयी। मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी द्वारा अभियोजन एवं बचाव पक्ष को सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त पर्याप्त आधार पाये जाने पर अभियुक्तगण दिनेश यादव एवं छोट्टू उर्फ सुशील यादव के विरुद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 323,504,506 भा०द०सं०, व धारा 3(1) द,ध, एस०सी०/ एस०टी० एक्ट दिनांक 16-06-2022 को विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार किया तथा विचारण की माँग की।
6. आरोप के समर्थन में अभियोजन द्वारा निम्न साक्षीगण को परीक्षित किया गया-

क्रम सं०	नाम साक्षी	
1	PW-1 रामसेवक	वादी मुकदमा (Informant)/चोटिल
2	PW-2 श्रीमती सुनीता देवी	चोटिल/चश्मदीद साक्षी
3	PW- 3 कीरतराम	(चश्मदीद साक्षी)
4	PW- 4 हेड का० अमित कुमार	प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक
5	PW- 5 ईरज राजा	विवेचक

7. अभियोजन की ओर से निम्नलिखित प्रदर्श साबित किये गये-

क्रम सं०	अभियोजन प्रपत्र	प्रदर्श
1	प्रार्थना पत्र/तहरीर वादी	प्रदर्श क- 1
2	प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR)	प्रदर्श क- 2
3	जी०डी०	प्रदर्श क- 3
4	नक्शा नजरी	प्रदर्श क- 4
5	आरोप पत्र	प्रदर्श क- 5

8. अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा 313 द०प्र०सं० अंकित किये गये। अभियुक्तगण ने लगाये गये आरोपों को गलत बताया। मुकदमा चुनावी रंजिश के कारण चलना बताया तथा सफाई साक्ष्य के रूप में डी०डब्लू० 1 ब्रेश बाबू को परीक्षित कराया है।

धारा 323 भा०द०सं० के अंतर्गत अभियोजन को निम्न तत्वों को साबित करना आवश्यक है-

- (i) यह कि अभियुक्त ने वास्तव में परिवादकर्ता को शारीरिक पीड़ा, रोग या अंग शौथिल्य कारित किया;
- (ii) यह कि अभियुक्त ने ऐसा उपहति कारित करने के आशय से या इस ज्ञान के साथ कि उपहति कारित किया जाना संभाव्य है, किया।

धारा 504 भा०द०सं० के अंतर्गत अभियोजन को निम्न तत्वों को साबित करना आवश्यक है-

- (i) यह कि अभियुक्त ने किसी व्यक्ति को अपमानित किया,
- (ii) यह कि उसने ऐसा साशय किया-
- (iii) यह कि उसने तदद्वारा उस व्यक्ति को गंभीर प्रकोपन किया
- (iv) यह कि वह आशय रखता था या जानता था कि यह संभाव्य है कि ऐसे प्रकोपन से वह लोक शांति भंग करेगा या कोई अन्य अपराध कारित करेगा

धारा 506 भा०द०सं० के अंतर्गत अभियोजन को निम्न तत्वों को साबित करना आवश्यक है-

- (i) यह कि अभियुक्त ने किसी व्यक्ति के शरीर, ख्याति या सम्पत्ति आदि को या किसी अन्य व्यक्ति को, जिसमें पूर्ववर्ती हितबद्ध हो, क्षति कारित करने की धमकी दिया,
- (ii) यह कि अभियुक्त ने ऐसा अपराध के पीड़ित व्यक्ति को चेतावनी देने के आशय से किया, एवं-
- (iii) यह कि उसने ऐसा इस कारण से किया कि पीड़ित व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करें या करने का लोप करें जिसे करने के लिए वह विधिपूर्वक बाध्य न हो।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3(1) में यह प्रावधान है कि- कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है,

उपधारा धारा (द)- अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को अवमानित करने के आशय से लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर अपमानित या अभिन्नस्त करेग,

उपधारा धारा (ध)- लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर जाति के नाम से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को गाली-गलौज करेगा।

वह, कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी, किन्तु जो पाँच वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से, दंडनीय होगा।

9. मैंने अभियोजन की ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक व बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन किया।

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबलू० 1 रामसेवक को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू० 1 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

"घटना दिनांक 04-11-2019 की है। समय सुबह 08.00 बजे का था। मेरे साथ मेरी पत्नी सुनीता देवी थी। मैं खेत पर काम कर रहा था। मेड़ कट गयी थी उस पर मिट्टी डाल रहा था। मेरे पास दिनेश, छोटू भागकर आये। जो नगला भूप के थे। आते ही इन्होंने मुझे और मेरी पत्नी से गाली-गलौज की और मुझे व मेरी पत्नी सुनीता देवी के साथ मारपीट की थी। मारपीट थप्पड़, घूसों से की थी। मुझे व मेरी पत्नी को जाति सूचक शब्द कहे कहा कि धोबियों साले तुमको नहीं रहने देंगे तथा जान से मार देंगे और यह भी कहा कि मुकदमा कहा तक ले जाओगे मैं उसे भी देख लूंगा। इस घटना की रिपोर्ट मैंने थाना नसीरपुर पर की थी। पत्रावली पर मौजूद कागज सं० 3 अ/3 तहरीर पर गवाह ने अपने लेख व हस्ताक्षर की शिनाख्त की। इस तहरीर पर प्रदर्श क-1 अंकित किया गया। डाक्टरी मुआयना कराया था लेकिन दरोगा जी ने कुछ कर दिया होगा। सी०ओ० साहब ने मेरा बयान लिया था।"

अभियोजन पक्ष की ओर से साक्षी संख्या 2 के रूप में पी०डबलू० 2 श्रीमती सुनीता देवी को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू० 2 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

"घटना दिनांक 04-11-2019 की थी। समय सुबह 08.00 बजे का था। दिनेश, छोटू ने मेरे खेत की मेड़ को काट दिया था। मैंने मना किया तो मेड़ क्यों काट दी है। तो इन लोगों ने जाति सूचक शब्द धोबिया कहा और गन्दी-गन्दी गाली दी। जान से मारने की धमकी दी थी। मारपीट मेरी व मेरे पति राम निवास कि, की थी। मारपीट में मेरे चोटें आयी थी। मारपीट इन दोनों ने लात, घूसों व थप्पड़ों से की थी। छोटू ने मेरा ब्लाउज फाड़ दिया था। सी०ओ० साहब ने मेरा बयान लिया था। इस घटना की रिपोर्ट मेरे पति रामनिवास उर्फ रामसेवक ने लिखाई थी। "

अभियोजन पक्ष की ओर से साक्षी संख्या 3 के रूप में पी०डबलू० 3 कीरतराम को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू० 3 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

"घटना दिनांक 04-11-2019 की है। समय सुबह 08.00 या 08.30 बजे का था। मैं घर से शिकोहाबाद दवा लेने जा रहा था। रोड के किनारे ही रामसेवक की जमीन है। रामसेवक और छोटू, दिनेश में झगड़ा हो रहा था। दिनेश, छोटू, रामसेवक से गाली-गलौज कर रहे थे और जाति सूचक शब्द धोबिया कह रहे थे। थप्पड़ों से मारपीट रामसेवक के साथ कर रहे थे। मैंने यह घटना अपनी आँखों से देखी थी।"

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबलू० 4 हैड का० अमित कुमार को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू० 4 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

"मैं दिनांक 04-11-2019 को थाना नसीरपुर पर तैनात था। उस दिन मैंने वादी मुकदमा रामसेवक पुत्र होसीलाल की तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० 283/19, धारा 323,504,506 भा०दं०सं० व धारा 3(1)द, ध, एस०सी०/एस०टी० एक्ट बनाम दिनेश आदि दो नफर के विरुद्ध पंजीकृत किया था। जिसकी चिक मेरे द्वारा कम्प्यूटर पर टंकित की गयी, जो कि पत्रावली पर 3अ/1 ता 3अ/2 है, जिसकी मैं शिनाख्त करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क-2 अंकित किया गया। जिसका खुलासा मैंने उसी दिन रोजनामाचाआम में रपट नं० 40 समय 17.10 बजे किया था। कम्प्यूटर पर किया था। असल जी०डी० साथ लेकर आया हूँ, जिसको देखकर जी०डी० को प्रमाणित किया। जी०डी० की मैं शिनाख्त करता हूँ, जी०डी० पर प्रदर्श क-3 अंकित किया गया।"

अभियोजन पक्ष की ओर से पी०डबलू० 5 डा० ईरज राजा विवेचक को परीक्षित किया गया। साक्षी पी०डबलू० 5 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

"मैं दिनांक 05-11-2019 को उपपुलिस अधीक्षक/पुलिस उपाधीक्षक सिरसागंज के पद पर तैनात था। उस दिन मैंने मु०अ०सं० 283/19, धारा 323,504,506 भा०दं०सं० व धारा 3(1)द, ध, एस०सी०/एस०टी० एक्ट बनाम दिनेश आदि दो नफर की विवेचना मेरे द्वारा ग्रहण की थी। उसी दिन पर्चा 1 किता किया जिसमें नकल चिक, नकल रपट अंकित किया। पर्चा नं० 2 में बयान वादी रामसेवक अंकित किये और घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया था। नक्शा नजरी पत्रावली पर उपलब्ध है जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिसकी मैं शिनाख्त करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क-4 अंकित किया गया तथा बयान गवाह सुनीता देवी, बयान एफ०आई०आर० लेखक का० अमित कुमार अंकित किये। पर्चा नं० 3 में अभियुक्त की तलाश की गयी दस्तयाब नहीं हुए एवं बयान गवाह मीरा देवी, सुरेश बाबू, मोहर सिंह का बयान अंकित किया। पर्चा नं० 4 में गवाह रामरतन, कीर्तिराज के अंकित किये थे। पर्चा नं० 5 में अभियुक्त की तलाश की गयी तो मौजूद मिला तथा जुर्म से अवगत कराया। धारा 41 (क) द०प्र०सं० के आदेश को तामीला कराया गया एवं बयान अभियुक्त दिनेश,

छोटू के अंकित किये। अभियुक्तगण के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर आरोप पत्र सं० 232/19 अभियुक्त दिनेश व छोटू उर्फ सुशील के विरुद्ध धारा 323,504,506 भा०दं०सं० व धारा 3(1)द, ध, एस०सी०/एस०टी० एक्ट में न्यायालय में प्रेषित किया। आरोप पत्र पत्रावली पर 4अ/1 ता 4अ/3 मौजूद है, जिसकी मैं शिनाख्त करता हूँ, जिस पर प्रदर्श क-5 अंकित किया गया।"

बचाव पक्ष की ओर से डी०डबलू० 1 ब्रेशबाबू को परीक्षित किया गया। साक्षी डी०डबलू० 1 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि-

"कीरतराम पुत्र जिलेदार निवासी आकलपुर ने एक मुकदमा मेरे खिलाफ व मुन्नेश कुमार के खिलाफ किया था। जिसमें दिनेश ने मुल्जिम ने रामब्रेश, मुनीश के पास में शपत्र पत्र दिये थे कि इन्होंने कोई भी घटना नहीं की। उसी के आधार पर हमारे नाम पुलिस ने निकाल दिये थे। कीतिराम पुत्र जिलेदार दिनेश और छोटू के खिलाफ झूठी गवाही दे रहा है। मुल्जिमानों द्वारा रामसेवक रिपोर्टकर्ता व उसकी पत्नी को कोई गाली-गलौज व जाति सूचक शब्द नहीं कहे। झूठा मुकदमा लिखाया है।"

10. मैंने विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन किया।

11. प्रस्तुत मामले में विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या दिनांक 04-11-2019 को समय 08.00 बजे अभियुक्तगण दिनेश यादव एवं छोटू उर्फ सुशील यादव ने वादी रामसेवक के साथ मारपीट कर साधारण उपहति कारित किया, साशय गंदी-गंदी गालियां देकर प्रकोपित एवं अपमानित किया ? क्या जान से मारने की धमकी दिया ? अग्रेतर प्रश्न यह भी है कि क्या अभियुक्तगण ने यह जानते हुए कि वादी अनुसूचित जाति का सदस्य है, लोक दृष्टि में आने वाले स्थान पर जाति सूचक गाली-गलौज कर अपमानित किया ?

12. इस सम्बन्ध में सर्वप्रथम यह विचारारण किया जाना समिचीन है कि क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराये जाने में किसी भी प्रकार का कोई अनुचित विलम्ब कारित किया गया है ? घटना दिनांक 04-11-2009 को समय प्रातः 08.00 बजे की है। उक्त घटना वादी के खेत स्थित ग्राम नसीरपुर, थाना नसीरपुर, जिला फिरोजाबाद की है। घटना के सम्बन्ध में वादी रामसेवक पी०डब्लू० 1 ने लिखित प्रार्थना पत्र दिनांक 04-11-2009 को थानाध्यक्ष नसीरपुर के समक्ष प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र प्रदर्श क-1 में यह उल्लिखित किया गया है कि वादी घटना के दिन व समय पत्नी को साथ लेकर खेत पर मेड़ बांधने के लिए मिट्टी डाल रहा था। अभियुक्त दिनेश पुत्र फूलन सिंह एवं छोटू पुत्र दिनेश, निवासी नगला भूप, थाना नसीरपुर, जिला फिरोजाबाद आये, वादी तथा वादी रामसेवक तथा उसकी पत्नी सुनीता को मारापीटा, जाति सूचक गालियां दी। अभियुक्तगण ने

कहा कि साले धोबिया अगर तूने मेड़ से मिट्टी ली तो तुझे मार दूंगा। उक्त प्रार्थना पत्र स्वयं वादी ने अपने हस्तलेख में दिया। जिसके आधार पर मु०अ०सं० 283/2019, अभियुक्तगण दिनेश व छोटू के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 323,504,506 भा०दं०सं० व धारा 3(1)द,ध, एस०सी०/एस०टी० एक्ट समय 17.10 बजे दिनांक 04-11-2019 को पंजीकृत की गयी। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क-2 है। इस सम्बन्ध में अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 4 हेड का० अमित कुमार का न्यायालय के समक्ष शपथपूर्वक बयान अंकित किया गया। जिसमें उसने कथन किया कि "मैं दिनांक 04-11-2019 को थाना नसीरपुर पर तैनात था। उस दिन मैंने वादी मुकदमा रामसेवक पुत्र होसीलाल की तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० 283/19, धारा 323,504,506 भा०दं०सं० व धारा 3(1)द,ध, एस०सी०/एस०टी० एक्ट बनाम दिनेश आदि दो नफर के विरुद्ध पंजीकृत किया था। जिसकी चिक मेरे द्वारा कम्प्यूटर पर टंकित की गयी, जो कि पत्रावली पर 3 अ/1 ता 3 अ/2 है। उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट की शिनाख्त की जिस पर प्रदर्श क-2 अंकित किया गया। तत्काल उसकी प्रविष्टि रोजनामचाआम (जी०डी०) में रपट सं० 40 के रूप में समय 17.10 बजे की गयी। रोजनामचाआम पत्रावली पर प्रदर्श क-3 है। प्रति-परीक्षा में कहा कि वादी रामसेवक अकेले थाने पर आया था, जिसने लिखित तहरीर दी थी। जो दिनांक 04-11-2019 को आया था। रिपोर्ट टाइपशुदा थी। वादी के शरीर पर कोई चोट न होने के कारण उसका कोई डाक्टरी मुआयना नहीं कराया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करते समय वादी पत्नी साथ में नहीं थे। लेखक का नाम तहरीर में अंकित नहीं है। वादी लगभग 05.00 बजे थाने पर आया था। इस सम्बन्ध में वादी पी०डब्लू० 1 रामसेवक का घटना के सम्बन्ध में तहरीर 3 अ/3 अपने लेख व हस्ताक्षर में देने के बाबत कथन किया है। डाक्टरी मुआयना कराये जाने का भी कथन किया, किन्तु पत्रावली पर कोई भी चिकित्सीय रिपोर्ट नहीं है। स्पष्ट है कि घटना वाले दिन ही घटना की रिपोर्ट लिखित तहरीर के माध्यम से वादी रामसेवक द्वारा दी गयी। लिखित तहरीर वादी ने स्वयं अपने हस्तलेख में दी थी। इसलिए उस पर लेखक का नाम लिखे होने का कोई प्रतिकूल प्रभाव अभियोजन कथानक की विश्वसनीयता पर नहीं पड़ेगा। दूसरे शब्दों में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराये जाने में किसी भी प्रकार का कोई अनुचित विलम्ब कारित नहीं किया गया है। पी०डब्लू० 1 रामसेवक ने अपने शपथपूर्वक बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कि "घटना दिनांक 04-11-2019 की है। समय सुबह 08.00 बजे का था। मेरे साथ मेरी पत्नी सुनीता देवी थी। मैं खेत पर काम कर रहा था। मेड़ कट गयी थी उस पर मिट्टी डाल रहा था। मेरे पास दिनेश छोटू भागकर आये। जो नगला भूप के थे। आते ही इन्होंने मुझे और मेरी पत्नी से गाली-गलौज की और मुझे व मेरी पत्नी सुनीता देवी के साथ मारपीट की थी।

मारपीट थप्पड़, घूसों से की थी। अग्रेतर यह भी कहा कि मुझे व मेरी पत्नी को जाति सूचक शब्द कहे कहा कि धोबियों साले तुमको नहीं रहने देंगे तथा जान से मार देंगे। अग्रेतर यह भी यह भी कहा कि मुकदमा कहा तक ले जाओगे मैं उसे भी देख लूंगा।" पी०डब्लू० 1 रामसेवक ने प्रति-परीक्षा में कहा कि मेरे व फूलन सिंह के खेत पास-पास हैं और मेरे फूलन सिंह से अच्छे सम्बन्ध हैं। मेड़ जब मैं एकसीध कर रहा था तब सबसे पहले छोटू आया था। छोटू ने गाली-गलौज आते ही की और मेरा तसला फावड़ फेंक दिया। तब मैं मिट्टी अपने खेत में से ले रहा था। मैं मिट्टी छोटू, दिनेश के खेतों से मिट्टी नहीं उठा रहा था। पूरब दिशा में हरीश्वन्द्र का खेत है। पश्चिम में कमलेश फौजी का खेत है। छोटू आया और मुझे गाली-गलौज किया की थी। तब बराबर के खेतों में कोई भी व्यक्ति नहीं था। छोटू ने मुझे 20 मिनट तक गाली-गलौज की थी। मैंने गाली देने से मना किया और कहा कि हम थाने जायेंगे। मेरी पत्नी मेरे साथ खेत पर थी। उसने भी मना किया था। मेरी पत्नी को धक्का मार दिया था वह गिर गयी थी। उसके बाद मैं थाना गया था। थाना में रिपोर्ट मैंने लिखाई थी। किसी ने तहरीर बोली नहीं थी मैंने स्वयं लिखी थी। इतनी बात 20 मिनट तक हुई थी। उस दौरान खेत पर गाँव का कोई भी अन्य व्यक्ति नहीं आया था। रिपोर्ट में गवाह रामरतन, कीरतराम लिखाये है, यह लोग लैट्रिन करने आये थे। छोटू भाग गया था। गवाहान ने गाली-गलौज करते नहीं देखा था। फिर कहा कि गाली-गलौज करते देखा था। मैंने अपना डाक्टरी मुआयना नहीं कराया था। मेरी पत्नी का प्राइवेट में डाक्टरी मुआयना हुआ था। सरकारी अस्पताल में नहीं गये थे और न पुलिस ले गयी थी। अग्रेतर कहा कि थाने में घटना वाले दिन ही गया था। पुलिस वाले घटना वाले दिन ही मेरे घर पर आये थे। मैंने पुलिस वालों को बताया था कि घटना कहां पर हुई है। अग्रेतर प्रति-परीक्षा में कहा कि गाँव का प्रधान गजेन्द्र उर्फ राकी एडवोकेट है। रामसेवक घटनापुरा, प्रदीप घटनापुरा के उम्मीदवार थे। रामनरेश हमारे गाँव के भी लड़े थे। मुझे नहीं मालूम कि फूलन सिंह किसके साथ थे। मैंने किसी को सपोर्ट नहीं किया था। मैंने तो वोट डाला था, ध्यान नहीं है कि किसको वोट डाला था। बचाव पक्ष की ओर से सुझाव दिया गया कि रामसेवक के साथ वादी था इस कारण रंजिशन उसे फंसाया गया। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है।

अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 2 के रूप में श्रीमती सुनीता देवी पत्नी रामसेवक को परीक्षित किया गया है। उक्त साक्षी ने अपने शपथपूर्वक बयान में कहा कि "घटना दिनांक 04-11-2019 की थी। समय सुबह 08.00 बजे का था। दिनेश, छोटू ने मेरे खेत की मेड़ को काट दिया था। मैंने मना किया तो मेड़ क्यों काट दी है। तो इन लोगों ने जाति सूचक शब्द धोबिया कहा और गन्दी-गन्दी गाली दी। जान से मारने की धमकी दी थी। मारपीट मेरी व मेरे पति राम निवास कि, की थी। मारपीट में मेरे चोटें आयी

थी। मारपीट इन दोनों ने लात, घूंसे व थप्पड़ों से की थी। छोटू ने मेरा ब्लाउज फाड़ दिया था। सी०ओ० साहब ने मेरा बयान लिया था। इस घटना की रिपोर्ट मेरे पति रामनिवास उर्फ रामसेवक ने लिखाई थी।" प्रति-परीक्षा में कहा कि मेरा खेत फूलन सिंह के खेत के जमुना की तरफ है। मेरा खेत ऊँचा है। मुल्जिमान का खेत नीचा है। छोटू और दिनेश ने दिनांक 04-11-2019 को ही मेरे खेत की मेड़ काट दी थी। यह मेड़ सुबह 08.00 बजे काट दी थी। हम लोग मौजूद थे जब मेड़ काटी थी। इन लोगों को मेड़ काटते हुए रोका था, तब नहीं माने थे। फिर इन लोगों ने हमसे गाली-गलौज दी थी, हम दोनों को मारपीटा था। करीब आधा घण्टा मारपीट मुल्जिमान करते रहे थे। मेरे कमर में पैर में चोटें आयी थी तथा मेरे पति की पीठ में चोटें आयी थी। हाथों से मारपीट की थी। कोई डण्डा, लाठी या फावड़ा के बेट नहीं था, जिससे मारा हो। मैं झगड़े के बाद सीधा थाने गयी थी। थाना मैं और मेरे पति गये थे। डाक्टरी मुआयना के लिये पुलिस ने अस्पताल नहीं भेजा था। रिपोर्ट सी०ओ० साहब ने लिखी थी। उस पर मेरे पति के दस्तखत कराये थे। ब्लाउज फाड़ने वाली बात रिपोर्ट में लिखाई थी। अग्रेतर कहा कि ऐसा नहीं है कि मैं व मेरे पति फूलने सिंह के खेत से मिट्टी उठा रहे हो और उसे उठाने से मना किया हो। हम मिट्टी उठा रहे थे तब मुल्जिमानों ने मना किया था। मौके पर पहले हम लोग थे। उसके बाद दिनेश, छोटू आये थे। मैंने डाक्टरी सरकारी अस्पताल में कराई थी। डाक्टर साहब को मैंने चोटें दिखाई थी। उन्होंने रिपोर्ट डाक्टरी में लिखायी थी। शिकोहाबाद सरकारी अस्पताल में डाक्टरी कराया था। जो पुलिस को दे दिया था। घटना के दूसरे दिन पुलिस मेरे यहाँ आई थी। अग्रेतर कहा कि मेरे पति के दिनेश, छोटू से अच्छे सम्बन्ध थे। मैंने अपने बयानों में दरोगा जी को बताया था कि मेरा ब्लाउज फाड़ दिया था।

अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 3 के रूप में कीरतराम पुत्र जिलेदार सिंह को परीक्षित किया गया है। इस साक्षी ने अपने शपथपूर्वक बयान में कहा कि "घटना दिनांक 04-11-2019 की है। समय सुबह 08.00 या 08.30 बजे का था। मैं घर से शिकोहाबाद दवा लेने जा रहा था। रोड के किनारे ही रामसेवक की जमीन है। रामसेवक और छोटू, दिनेश में झगड़ा हो रहा था। दिनेश, छोटू, रामसेवक से गाली-गलौज कर रहे थे और जाति सूचक शब्द धोबिया कह रहे थे। थप्पड़ों से मारपीट रामसेवक के साथ कर रहे थे। मैंने यह घटना अपनी आँखों से देखी थी।" प्रति-परीक्षा में कहा कि दवा लेने मैं अपने घर से 08.00 बजे चला था। बादलपुर से घटना स्थल आधा किलोमीटर दूर है। मैंने फूलन सिंह, दिनेश, रामसेवक के खेत देखे हैं।---- खेत ऊँचा नीचा है। रोट की तरफ नीचा है। दिनेश का खेत नीचा है। करीब चार फीट नीचा होगा। रामसेवक क्या कर रहे थे मुझे पता नहीं। मैं यह भी नहीं बता सकता कि हूँ कि इन दोनों में झगड़ा किस बात पर हो रहा

था। किसी पक्ष ने मुझे मौके पर नहीं बुलाया था। मौके पर मैं पाँच मिनट रुका था। झगड़ा दोनों तरफ से हो रहा था। झगड़ा छोटू, दिनेश, रामसेवक के साथ कर रहे थे। रामसेवक व उसकी पत्नी कोई बात कह रहे थे। मैंने नहीं सुनी थी। केवल दिनेश, छोटू की बात सुनी थी। रामब्रेश, सुनील, श्रीनिवास, अनिल, मनोज मेरे परिवार के नहीं हैं, गाँव के हैं। मैंने इन लोगों के खिलाफ मुकदमा किया था। मैंने 376 भा०दं०सं० का मुकदमा इनके खिलाफ किया था। इन लोगों के खिलाफ मुकदमा अभी चल रहा है। साक्षी ने रंजिशन फसांये जाने के सुझाव से साफतौर पर इंकार किया।

प्रस्तुत मामले की विवेचना अभियोजन साक्षी पी०डब्लू० 5 डा० ईरज राजा द्वारा सम्पादित की गयी है। घटना स्थल का निरीक्षण किया और साक्षियों के बयान अंकित किये। नक्शा नजरी प्रदर्श क-4 इनके द्वारा तैयार किया गया तथा पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर आरोप पत्र प्रदर्श क-5 न्यायालय में प्रेषित किया गया। पत्रावली पर नक्शा नजरी प्रदर्श क-4 है जिसमें "X" चिन्ह से वह स्थान दर्शाया गया है जहां पर वादी व उसकी पत्नी मेड़ डाल रहे थे और उनके साथ मारपीट की गयी। "X" स्थान से उत्तर दिशा में खाली खेत वादी, पूरब दिशा में खाली खेत हरीश्वन्द्र, दक्षिण दिशा में खाली खेत प्रतिवादी दिनेश व कमल का दर्शाया गया है। वादी पी०डब्लू० 1 ने अपने धारा 161 द०प्र०सं० के अन्तर्गत बयान में यह बताया था कि "मैं अनुसूचित जाति धोबी जाति का व्यक्ति हूँ। दिनांक 04-11-2019 को सुबह 08.00 बजे मैं अफनी पत्नी के साथ खेत पर मेड़ बांध रहा था। मेरी खेत की मेड़ पानी से टूट गयी थी। मेरा खेत ऊचाई पर है तथा मेरे खेत के नीचे नगला भूप के दिनेश पुत्र फूलन सिंह का खेत है। मेरे खेत की मिट्टी मेड़ टूट कर दिनेश के खेत में चली गयी थी। उसी मिट्टी को उठाकर मैं मेड़ बांध रहा था। तभी वहां दिनेश पुत्र फूलन सिंह व छोटू पुत्र दिनेश निवासीगण नगला भूप थाना नसीरपुर जिला फिरोजाबाद आ गये और मुझे व मेरी पत्नी सुनीता देवी को मारा पीटा तथा जाति सूचक शब्द व गंदी-गंदी गालियां दी और कहा साले धोबिया अगर तूने मेरी मेड़ से मिट्टी ली तो तुझे मार दूंगा तभी मैं वहां से अपनी पत्नी के साथ जान बचाकर चला आया और मैंने थाने जाकर इसकी रिपोर्ट लिखा दी। साहब यह यादव जाति के दबंग लोग हैं। इन लोगों को सजा मिलनी चाहिये।"

वादी पी०डब्लू० 1 रामसेवक उसकी पत्नी पी०डब्लू० 2 सुनीता देवी व चक्षुदर्शी साक्षी पी०डब्लू० 3 कीरतराम और विवेचक के बयान तथा वादी रामसेवक के धारा 161 द०प्र०सं० के अन्तर्गत अंकित किये गये बयान, नक्शा नजरी के अवलोकन से यह बात स्पष्ट है कि दिनांक 04-11-2019 को प्रातः लगभग 08.00 बजे वादी रामसेवक अपनी पत्नी सुनीता देवी के साथ खेत की मेड़ बांध रहा था। मेड़ पानी के कारण कट गई थी। उसी समय अभियुक्तगण दिनेश यादव व छोटू उर्फ सुशील यादव पहुँचे और

बिना किसी उकसावे के वादी पी०डब्लू० 1 व उसकी पत्नी को धोबी/धोबनियां कहकर तथा गंदी-गंदी गालियां देकर अपमानित एवं प्रकोपित किया। घटना स्थल खेत है जो एक सार्वजनिक स्थान है तथा लोक दृष्टि में आने वाला स्थान है। घटना के समय कीरतराम अभियोजन साक्षी पहुंचा और घटना को देखा तथा सुना कि अभियुक्तगण जाति सूचक गालियां दे रहे थे, मारपीट कर रहे थे। यद्यपि कि कीरतराम अभियोजन साक्षी को इस बात की जानकारी नहीं है कि नहीं हो पाई थी कि झगड़ा किस बात पर हो रहा था। वादी और उसकी पत्नी को कोई गंभीर चोटें नहीं थी। इस कारण उनकी चोटों का डाक्टरी परीक्षण नहीं कराया गया। लात, घूंसों से मारपीट की गयी थी। यद्यपि वादी रामसेवक की पत्नी पी०डब्लू० 2 ने चोटों का डाक्टरी परीक्षण कराये जाने के बाबत कथन किया है, किन्तु वास्तव में चोटों का कोई मेडिकल परीक्षण नहीं हुआ। वादी और उसकी पत्नी घटना स्थल अर्थात् खेत पर प्रातः काल 08.00 बजे उपस्थित थे। जहाँ अभियुक्तगण पहुंचकर बिना किसी उकसावे के गंदी-गंदी गालियां दी, जान से मारने की धमकी दी। वादी और अभियुक्तगण का खेत एक-दूसरे के बगल में है। वादी ने अपने साक्ष्य में यह बात अवश्य कही है कि उसके और अभियुक्तगण के पिता से अच्छे सम्बन्ध थे, किन्तु इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि अभियुक्तगण द्वारा कथित घटना न कारित की गयी हो। बचाव पक्ष की ओर से वादी और उसकी पत्नी से यह सुझाव दिया गया कि ग्राम प्रधानी की चुनावी रंजिश के कारण उसे झूठा फंसाया गया है। इस सुझाव से स्पष्ट रूप से इंकार किया। अभियुक्तगण द्वारा वादी उसकी पत्नी के साथ मारपीट और गाली-गलौज यह ज्ञान रखते हुए की गयी कि वादी अनुसूचित जाति का सदस्य है। गाली-गलौज लोक दृष्टि में आने वाले स्थान पर की गयी। बचाव पक्ष की ओर से की गयी प्रति-परीक्षा में ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं लाया जा सका जिससे वादी, उसकी पत्नी और अभियोजन साक्षी कीरतराम के साक्ष्यों पर अविश्वास किया जा सके। विवेचना में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं को इंगित नहीं किया गया। घटना की सूचना तत्काल थाने पर दी गयी और तत्काल प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी। विवेचना भी तत्काल अग्रसारित की गयी। घटना स्थल का तत्काल निरीक्षण किया। सुसंगत साक्ष्यों को एकत्रित किया गया। साक्ष्यों के समग्र अवलोकन से यह बात सिद्ध है कि अभियुक्तगण द्वारा स्वेच्छया बिना किसी उकसावे के वादी और उसकी पत्नी के साथ मारपीट, गाली-गलौज की गयी और प्रकोपित किया और जान से मारने की धमकी दी गयी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत आरोपित धारा 3(1)द, ध, के आवश्यक तत्वों को अभियोजन युक्तियुक्त सिद्ध करने में पूर्णतः सफल रहा है। अभियोजन साक्ष्यों पर किसी प्रकार से इंकार नहीं किया जा सकता। अभियोजन द्वारा पूर्णतः विश्वसनीय एवं अकाट्य साक्ष्य

दिये गये जो न्यायालय का विश्वास जाग्रत करने वाले हैं। अभियोजन साक्षियों के बयानों में किसी प्रकार का कोई विरोधाभास नहीं है अथवा तात्त्विक विरोधाभास नहीं है। अभियुक्तगण रंजिशन नहीं फंसाये गये हैं। वादी द्वारा मेड पर मिट्टी डालने को लेकर अभियुक्तगण द्वारा साशय अपराध कारित किया गया है। बचाव पक्ष की ओर से डी०डब्लू० 1 के रूप में ब्रेशबाबू को परीक्षित किया गया है। उक्त साक्षी के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है कि साक्षी कीरतराम ने द्वेशवश अभियोजन की ओर से झूठा साक्ष्य दिया है। जैसा कि उपरिवर्णित साक्ष्यों के आलोक में यह बात यह बात सिद्ध की जा चुकी है कि वादी रामसेवक और उसकी पत्नी सुनीता देवी मेड को सीधा कर रहे थे और अभियुक्तगण घटना स्थल पर पहुँचे तथा बिना किसी उकसावे के मारपीट किया, जाति सूचक गालियां दी। बचाव पक्ष की ओर से दिये गये साक्ष्य साक्षी डी०डब्लू० 1 के साक्ष्यों के आलोक में यह कदापि नहीं कहा जा सकता कि साक्षी कीरतराम ने असत्य कथन न्यायालय के समक्ष किया हो। वादी और उसकी पत्नी के साक्ष्यों का अक्षरक्षः समर्थन साक्षी कीरतराम ने किया है। अभियुक्तगण को रंजिशन फंसाये जाने का कोई साक्ष्य नहीं है। अभियोजन उपलब्ध साक्ष्यों के आलोक में लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 323,504,506 भा०द०सं० व धारा 3(1) द,ध, एस०सी०/एस०टी० एक्ट युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में पूर्णतः सफल रहा है। अभियुक्तगण दिनेश यादव एवं छोट्टू उर्फ सुशील यादव अन्तर्गत धारा 323,504,506 भा०द०सं० व धारा 3(1) द,ध, एस०सी०/एस०टी० एक्ट में दोषसिद्ध किये जाने योग्य हैं।

आदेश

अभियुक्तगण दिनेश यादव एवं छोट्टू उर्फ सुशील यादव को आरोप अंतर्गत धारा 323,504,506 भा०द०सं० व धारा 3(1) द,ध, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, के आरोप में दोष सिद्ध किया जाता है।

अभियुक्तगण जमानत पर हैं, उनकी जमानतें व बन्ध पत्रों को निरस्त किया जाता है तथा जामिनदारों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाए। दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली पुनः पेश हो।

(इफराक अहमद)

दिनांक: 05.09.2023

विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट
 फिरोजाबाद।

ID NO UP6193

दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली पुनः पेश हुई।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा कथन किया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ अपराध कारित किया गया है। अर्थात् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 में विधायिका द्वारा उदघोषित अधिनियम के उद्देश्य व प्रयोजन को दृष्टिगत रखते हुए अधिकतम दण्ड दिये जाने की याचना की गयी है।

दूसरी ओर अभियुक्त/बचावपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह कथन किया गया है कि अभियुक्तगण गरीब परिवार से हैं। अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध है। न्यूनतम दण्ड दिये जाने की याचना की गयी है।

मामले की गंभीरता और प्रकृति, अभियुक्तगण का सामाजिक परिवेश एवं अन्य सुसंगत परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को निम्न प्रकार से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा।

दण्डादेश

अभियुक्त दिनेश यादव निम्न प्रकार दण्डादिष्ट किया जाता है-

धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 06 माह का सश्रम कारावास व मुव० 500/- (पाँच सौ रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 504 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 06 माह का सश्रम कारावास व मुव० 500/- (पाँच सौ रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 506 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 06 माह का सश्रम कारावास व मुव० 500/- (पाँच सौ रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 3(1) द,ध, अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत उपबन्धित, दण्डिक प्रावधान के अन्तर्गत 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 2,000/- (दो हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अभियुक्त छोटू उर्फ सुशील यादव निम्न प्रकार दण्डादिष्ट किया जाता है-

धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 06 माह का सश्रम कारावास व मुव० 500/- (पाँच सौ रुपये)

रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 504 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 06 माह का सश्रम कारावास व मुव० 500/- (पाँच सौ रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 506 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत अपराध कारित करने के लिए 06 माह का सश्रम कारावास व मुव० 500/- (पाँच सौ रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

धारा 3(1) द, ध, अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत उपबन्धित, दण्डिक प्रावधान के अन्तर्गत 04 वर्ष का सश्रम कारावास व 2,000/- (दो हजार रुपये) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे एक माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

सभी सजायें साथ-साथ चलेगीं।

अभियुक्तगण द्वारा इस प्रकरण में इससे पूर्व में बितायी गयी जेल की अवधि सजा में समायोजित की जाये।

इस निर्णय की प्रति निःशुल्क अभियुक्तगण को तत्काल प्रदत्त की जाये तथा अभियुक्तगण का सजायावी वारण्ट बनाकर दण्डादेश भुगतने हेतु जिला कारागार फिरोजाबाद प्रेषित किया जाए।

अधिरोपित धनराशि में से पचास प्रतिशत धनराशि चोटहिल वादी को अपील अवधि अथवा अपील के अन्तिम निस्तारण के उपरांत अदा की जाए।

(इफराक अहमद)

दिनांक: 05.09.2023 विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट
 फिरोजाबाद।

ID NO UP6193

आज यह निर्णय व आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके उदघोषित किया गया।

(इफराक अहमद)

दिनांक: 05.09.2023 विशेष न्यायाधीश एस०सी०/एस०टी० एक्ट
 फिरोजाबाद।

ID NO UP6193